राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः प.14(10)खान/ग्रुप–2/2020 (विशेष)　　　　जयपुर, दिनांक 10 अप्रेल, 2020

निदेशक,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
उदयपुर।

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2020/25.03.2020 के क्रम में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2020 को लॉकडाउन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों की पालना बाबत।

संदर्भः शासन का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2020 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.04.2020 के क्रम में राज्य में लॉकडाउन अवधि में खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस में खनन कार्य संचालित करने के संबंध में संदर्भित पत्र से दिये गये निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1. लॉकडाउन अवधि में अप्रधान खनिज के राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 की द्वितीय अनुसूची के पार्ट–ए में अंकित खनिज लाईमस्टोन, जिसका उपयोग केमीकल इण्डस्ट्रीज, हाईड्रेटेड लाईम, पशु आहार, पॉल्ट्री आदि में होता है तथा पार्ट–बी में अंकित समस्त खनिज के खनन पट्टों/जिप्सम परमिट में खनन कार्य तुरंत प्रभाव से चालू करवाया जावे। उक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय ऑन लाईन ई–रवन्ना/ई–टी.पी. तथा सभी एम्पेनेल्ड वे–ब्रिज को activate कर दिया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन खनन पट्टों में यदि औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य खनिज यथा ग्रेनाईट, चेजा पत्थर इत्यादि समाविष्ट है तो ऐसे खनिजो के ई–रवन्ना deactivate ही रहेगे। शेष खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस/अन्य अनुमति में खनन कार्य पूर्वानुसार बंद रहेगा।
2. प्रधान खनिज के लिग्नाईट, ऑयरन ओर, लाईमस्टोन, लेड, जिंक, कॉपर इत्यादि खनिज के खनन पट्टे जिनसे खनिज की आपूर्ति के आधार पर विभिन्न प्लाण्ट संचालित हो रहे हैं, में खनन कार्य गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.04.2020 में अंकित शर्तों के अधीन चालू रहेगा तथा इनमें खनन कार्य संचालन की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner